

नम्बर
जो इस्त
में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

संख्या 93/2022

निर्णय दिनांक - 6/5/2022

दाखीबाई बेवा गोपीलाल जी जाति धाकड़ निवासी-लहमीपुरा त. निम्बाहेड़ा
..... प्रार्थीगण

/बनाम/

1. गोपाल पिता बंशीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
2. घनश्याम पिता बंशीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
3. भगवतीलाल पिता बंशीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
4. योगेशकुमार पिता बंशीलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
5. लालुराम पिता नानालाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
6. मानमल पिता रामलाल जी जाति धाकड़ निवासी कनेरा
7. गोपाल पिता नानालाल जी धाकड़ निवासी कनेरा

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का कनेरा तह निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 33 आ0न0 84 रकबा 0.0200 हे., आराजी न. 85 रकबा 0.1000 हे. आराजी नम्बर 86 रकबा 0.1000 हेक्टयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.7100 हेक्टयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.9300 हे. की पत्थरगढी कराने का निवेदन किया हैं । विपक्षी प्रार्थी की भूमि पडौसी हैं । प्रार्थी का रिकार्ड मे प्रश्नगत भूमि खातेदार काश्तकार हैं जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त हैं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति मे, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा सेमलिया पटवार हल्का कनेरा तह निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 33 आ0न0 84 रकबा 0.0200 हे., आराजी न. 85 रकबा 0.1000 हे. आराजी नम्बर 86 रकबा 0.1000 हेक्टयर, आराजी नम्बर 87 रकबा 0.7100 हेक्टयर कुल कित्ता 4 रकबा 0.9300 हे. की किसी भी पक्ष में कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढी करे । पत्थरगढी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें ।

आज दिनांक 06.05.2022 को मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)